मौसम

मूवमेंट फॉर एडवांसिंग अण्डरस्टेंडिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी एण्ड म्यूचुअलिटी

सितम्बर 2018

इस अंक में...

2 मध्य प्रदेशः चुनाव और जन अपेक्षाएँ, आने वाली सरकार के लिए चुनौतियाँ

4 महाराष्ट्र और राजस्थान में खेत-तालाब योजनाः क्रियान्वयन में सुधार की जरूरत

7 वनाधिकार कानून लागू करने की माँग

9 राजस्थान में खेतीः सरकार की पहल और जन-मानस की प्रतिक्रिया

13 दिल्ली में गिरता भू-जल स्तर

14 कम खर्च में अधिक उत्पादन बना आजीविका का साधन

15 बियॉण्ड कॉपेनहेगन गतिविधियाँ

17 अंधाधुंध विकास का दुष्परिणाम – बाढ़

17 खबरें

संपादकीय

प्रिय मित्रो,

हमें मौसम का पहला पत्र आपके साथ साझा करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ महीनों पहले ही बियॉण्ड कॉपेनहेगन को मौसम ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर कराया गया है। ''मौसम'', एक देशज नाम रखने के पीछे मंशा यह है कि एक हिन्दी नाम बातचीत में ज्यादा सुगम और हमारे काम को ज्यादा अच्छे तरीके से परिभाषित करता है।

मौसम (MAUSAM) का पूरा नाम Movement for Advancing Understanding on Sustainability and Mutuality अपने आप में एक गहन विचार है जिसमें स्थायित्व और परस्परता पर बल है। सही मायने में स्थायित्व तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम यह धरती और उसके संसाधन न सिर्फ मानव के उपभोग के लिए बल्कि सभी प्राणियों और पक्षियों और प्राकृतिक अवयवों के परस्पर जीवन के लिए आवश्यक समझें।

जलवायु परिवर्तन की विभीषिका बढ़ती ही जा रही है। 2018 में यूरोप, अफ्रीका, अमरीका और एशिया के कई देशों में गर्म हवा, उमस और लू से सैकड़ों लोग मरे। गर्मी की वजह से स्वीडन, कैलिफोर्निया और ग्रीस में जंगल की आग से भी काफी क्षति हुई। जापान को बढ़ती गर्मी के साथ बाढ़ की भी त्रासदी झेलनी पड़ी। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2018 अभी तक का चौथा सबसे अधिक गर्म साल होगा। आपको याद होगा कि 2016 सर्वाधिक गर्म साल था और 2015 व 2017 उसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर थे।

भारत में भी केरल की बाढ़ में 300 से अधिक लोगों की जान गई। केरल को बाढ़ से हुई क्षति से उबरने में कई साल लगेंगे। जलवायु संकट के बढ़ते हुए प्रमाण के बावजूद दुनिया की सरकारें अभी भी त्वरित उपाय करने में हिचक रही हैं, यह अत्यंत दुःखद है।

मौसम के इस अंक में देश-दुनिया की बातें, आपकी और हमारी गतिविधियों के अलावा खेती-किसानी, बावड़ी-तालाब, जंगल और लोगों के अधिकारों से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी है। आने वाले महीनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव भी हैं और मौसम की पहल के तहत इन राज्यों में जन-आकांक्षाओं पर भी बातचीत और राजनैतिक दलों के साथ इन पर चर्चा भी की जा रही है। आशा है कि इन बातचीत के माध्यम से हम खेती-किसानी, जंगल, रोजगार, पर्यावरण, पानी इत्यादि विषयों पर राजनैतिक दलों को सचेत कर सकेंगे।

आशा है कि कई साथी संस्थाओं के आलेख व सहयोग से तैयार यह न्यूजलैटर आपको रोचक लगेगा। आप ईमेल या पत्र के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएंगे तो यह हमें भविष्य में इसे और बेहतर करने में सहायक होगा।

धन्यवाद।

– विजय प्रताप, पानाचंद जैन व मिनी बेदी

मध्य प्रदेश: चुनाव और जन अपेक्षाएँ

आने वाली सरकार के लिए चुनौतियाँ

• अजय कुमार झा

चित्र स्रोतः www.khabar.ndtv.com

राज्य में तकरीबन 1.5 करोड़ बेरोजगार हैं। हजारों युवक-युवतियाँ नौकरी की विभिन्न परीक्षाओं को पास करके भी नौकरी की बाट जोह रहे हैं।

आगामी दिसंबर में चार राज्यों – राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अरुणाचल में चुनाव अपेक्षित हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 2005 से मुख्यमंत्री हैं। उनके शासनकाल में मध्य प्रदेश में यथोचित प्रगति हुई है। प्रति व्यक्ति आय 15000 रुपये से तकरीबन 55000 हुई है। कृषि विकास की दर 20 प्रतिशत तक रही है। सिंचित भूमि का रकबा सात लाख हैक्टेयर से बढ़कर 40 लाख हैक्टेयर हुआ है। इस दौरान मध्य प्रदेश ऊर्जा अधिशेष राज्य हुआ है। सरकार का कहना है कि कोई भी गाँव ऐसा नहीं है जो पक्की सड़क से न जुड़ा हुआ हो। राज्य को पाँच बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला है। सरकार दावा करती है कि भावांतर भुगतान, कृषि बीमा, बोनस व अन्य कई योजनाओं से किसानों को भी काफी लाभ हुआ है और उनकी स्थिति अन्य राज्यों से अच्छी है। शिवराज सिंह चौहान काफी लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं और रमण सिंह के बाद सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले दूसरे मुख्यमंत्री हैं। व्यापम जैसे घोटाले से उनकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता पर कुछ आँच आई लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को कोई खास चुनौती नहीं है।

लेकिन ऊपर से सफल दिखने वाले शासनकाल में कई कमजोरियाँ भी रही हैं जो कि हाल के वर्षों में ज्यादा प्रकाश में आई हैं। भाजपा या किसी भी अन्य पार्टी, जो सरकार बनाने की स्थिति में होगी, को इन चुनौतियों पर गहरी दृष्टि डालने और मंथन करने की जरूरत होगी।

गरीबी: मध्य प्रदेश अभी भी सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में से एक है। अभी भी राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की तुलना में राज्य की आय 30 प्रतिशत से कम है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय में काफी अंतर है।

अपराध नियंत्रण: मध्य प्रदेश गंभीर अपराध और महिलाओं के खिलाफ अपराध में अग्रणी राज्यों में है। राज्य में अनुसूचित जनजाति के खिलाफ भी सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं। इसके साथ ही बाल यौन शोषण के अपराध में भी मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में है।

बाल एवं मातृ स्वास्थ्य: शिशु मृत्यु दर, पाँच वर्ष से कम शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर अभी भी राज्य में राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। सुधार के बावजूद शिशु मृत्यु दर में राज्य सिर्फ आसाम और उड़ीसा से बेहतर है।

महिला साक्षरता: सुधार के बावजूद भी राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर (68.4 प्रतिशत) की तुलना में मध्य प्रदेश (59.4 प्रतिशत) काफी पीछे है।

रोजगार: पिछले वर्षों में बेरोजगारी काफी बढ़ी है। ऐसा आकलन है कि पिछले 13 सालों में सरकार प्रतिवर्ष औसतन 20000 नौकरियाँ भी सृजित नहीं कर पाई है। हजारों

युवक-युवतियाँ नौकरी की विभिन्न परिक्षाओं को पास करके भी नौकरी की बाट जोह रहे हैं। राज्य में तकरीबन 1.5 करोड़ बेरोजगार और 12 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या इससे अधिक ही होगी क्योंकि कुछ ही शिक्षत बेरोजगार रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराते हैं। रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने से वर्तमान कर्मचारियों को फायदा होगा लेकिन इससे बेरोजगारी की स्थिति और भी गंभीर होगी।

नदियों का स्वास्थ्य: राज्य की प्राणदायिनी नदी नर्मदा की स्थिति काफी दयनीय है। वाशिंगटन स्थित वर्ल्ड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट ने नर्मदा को विश्व की ऐसी छः बड़ी नदियों में रखा है जिनका अस्तित्व खतरे में है। मंडला से लेकर भेड़ाघाट, सेठानीघाट से लेकर नेमावर तक और जबलपुर के आस-पास नर्मदा सर्वाधिक प्रदूषित है। सरकारी पैसे से की गई नर्मदा यात्रा से नर्मदा की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद बहुम कम लोगों को है। इसके अतिरिक्त भी प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों का स्वास्थ्य बेहद खराब है।

जल, जंगल, पर्यावरण: जल और जंगल में समृद्ध होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में जल, जंगल और पर्यावरण की स्थिति काफी खराब है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार राज्य में उत्तरी क्षेत्रों में खासकर ग्वालियर और चंबल क्षेत्रों में भूजल में काफी गिरावट आई है। एक दशक में राज्य के 62 प्रतिशत कुओं में भूजल में गिरावट दर्ज की गई है। अन्य क्षेत्रों में भी भूजल की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। हृदय प्रदेश होने के बावजूद भी राज्य में जंगल कम हुआ है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक राज्य में घने आच्छादित और कम घने आच्छादित दोनों जंगलों में कमी दर्ज की गई है। हाल के वर्षों में राज्य में प्रदूषण भी बढ़ा है। 2016 में वायु प्रदूषण में ग्वालियर देश का प्रथम शहर था। सिंगरौली, जबलपुर, इन्दौर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है।

बिजली: जरूरत से अधिक बिजली पैदा करने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में बिजली की कीमत देश में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है। राज्य में बिजली का उत्पादन 18000 मेगावाट है जबकि माँग 8000 मेगावाट और पीक डिमांड 11000 मेगावाट की है। राज्य की पनबिजली परियोजनाओं से बिजली 35 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 80 पैसे प्रति यूनिट तक उपलब्ध है, फिर भी सरकार निजी बिजली कंपनियों से तीन रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीद रही है। 2011 में कई निजी बिजली कंपनियों से किए गए करार के तहत सरकार इन कंपनियों को प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि देने के लिए बाध्य है। इन कंपनियों से बिजली खरीदने पर मजबूर सरकार को अपनी बिजली संयंत्र बंद रखकर उनसे बिजली खरीदना पड़ रहा है। ऐसा आकलन है कि इससे वर्षों में कई हजार करोड़ का घाटा सरकार को हुआ है। आर्थिक घाटे के अलावा बिजली उत्पादन में समृद्ध होने के बावजूद हजारों विद्यालयों और लाखों घरों को बिजली नहीं मिलती है।

खेती और किसान: साल दर साल कई फसलों में रिकार्ड उत्पादन के बावजूद भी किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है और उन पर कर्ज बढ़ा है। इन परिस्थितियों के कारण मध्य प्रदेश देश में किसानों की आत्महत्या के मामले में दूसरे नंबर पर है। 2010 से 2017 तक 6000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। 2016 में ही 1900 किसानों ने आत्महत्या की है।

राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की तुलना में राज्य की आय 30 प्रतिशत कम

बच्चों, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अपराध

राज्य में 1.5 करोड़ बेरोजगार

शिशु और मातृ मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा

नर्मदा सहित राज्य की प्रमुख नदियों की स्थिति चिंताजनक

भूजल में गिरावट, जंगलों में कमी

35 से 80 पैसे प्रति यूनिट में बिजली उपलब्ध, लेकिन निजी बिजली कंपनियो से तीन रुपये प्रति यूनिट में बिजली की खरीद

2010 से 2017 तक 6000 से अधिक किसानों की आत्महत्या

हाल के वर्षों में अरहर, चना, सोयाबीन, टमाटर, आलू इत्यादि सभी फसलों के दाम काफी गिरे हैं और किसानों को अपनी फसल कौड़ी के दाम बेचनी पड़ी है। 2016 में 37 लाख किसानों ने फसल बीमा कराया लेकिन 7.5 लाख किसानों को ही कुछ ढंग का मुआवजा मिल पाया। पिछले साल मंदसौर में विरोध प्रदर्शन करते हुए छः किसानों को जान भी गँवानी पड़ी। उसके बाद सरकार भावांतर भुगतान योजना लेकर आई जिसका उद्देश्य था समर्थन मूल्य से नीचे अपनी फसल बेचने वाले किसानों की भरपाई करना। इस योजना के बावजूद भी मॉडल रेट का गणित न समझ पाने वाले किसान ठगा-सा महसूस कर रहे हैं और अब भी उन्हें अपनी फसल का सही मूल्य मिलने की ज्यादा उम्मीद नहीं है।

राज्य की एक बड़ी जनसंख्या अभी भी कृषि पर निर्भर है और आने वाले चुनाव में खेती-किसानी के मुद्दे, जैसे फसल का उचित दाम, मंडी की सुविधाजनक व्यवस्था, सही समय पर बीज-खाद-पानी की उपलब्धता, किसान को ऋण, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर, नदियों को बेहतर करके सिंचाई की सुविधा, सिंचाई के लिए सस्ती बिजली इत्यादि महत्वपूर्ण रहेंगे। जनता की अपेक्षा है कि राजनैतिक पार्टियों को खोखले वादे करने के बजाय इन मुद्दों पर दीर्घकालीन व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा गरीबी, रोजगार, बाल एवं महिला स्वास्थ्य, महंगी बिजली, शिक्षा, वन एवं पर्यावरण और शासन व्यवस्था दुरुस्त करने व अपराध करने के मुद्दों को गंभीरता से लेकर बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए। **

महाराष्ट्र और राजस्थान में खेत-तालाब योजना: क्रियान्वयन में सुधार की जरूरत

• सौम्य दत्ता और चेतना जोशी*

खेत-तालाब योजना सूखे से जूझते देश के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है, पर जमीनी स्तर पर किसानों के साथ भागीदारी कर क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

8 राज्यों के 70 प्रतिशत जिले सूखे की चपेट में आए
स्रोत: https://factly.in/266-districts-11-different-states-drought-affected-2015-16/

भारत का करीब 65 प्रतिशत खेती योग्य इलाका सिंचाई के लिए पूरी तरह बारिश पर निर्भर है। पिछले कई सालों से देश का एक-तिहाई भाग हर साल सूखे की चपेट में रहता है। मौसम चक्र में आए बदलाव का असर सूखे की विकराल समस्या के रूप में दिखाई पड़ रहा है। यूँ तो पिछले कई वर्षों से देश सूखे की मार और अनियमित वर्षा को झेल रहा है, वर्ष 2015-2016 में पड़े सूखे ने बड़े खतरे का संकेत दिया जब देश के 11 राज्यों के 266 जनपदों को सूखा ग्रस्त घोषित किया गया। इस वर्ष छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में सूखे की स्थिति सबसे विकराल रूप में सामने आई जहाँ 93 प्रतिशत और 92 प्रतिशत जनपद सूखे कि गिरफ्त में आए। उड़ीसा और मध्य प्रदेश के 90 प्रतिशत जनपद सूखे की लपेट में आए वहीं महाराष्ट्र के 78 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश के 77 प्रतिशत, तेलंगाना के 70 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश के 67 प्रतिशत और गुजरात के 15 प्रतिशत जनपद सूखे से प्रभावित हुए। कर्नाटक के अलावा अन्य सभी राज्यों में खरीफ की फसल के दौरान सूखा पड़ा। कर्नाटक में 27 जिलों को खरीफ के दौरान सूखा घोषित किया गया वहीं 12 जिलों को रबी की फसल के दौरान। सूखे का असर अनाज के उत्पादन में गिरावट के रूप में सामने आया। जहाँ देश में 2010-2011 से 2014-2015 के बीच अनाज का औसतन उत्पादन 255.59 मिलियन टन का हुआ जबकि 2015-2016 के वर्ष में यह घटकर 253.16 मिलियन टन रह गया। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने 13497 करोड़ रुपये मंजूर किए।

सूखे की समस्या से निपटने के लिए 2016 के बजट में नाबार्ड के अंदर 20,000 करोड़ की राशि वाला एक अलग लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड बनाने की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि मनरेगा के अंदर आवंटित राशि का भी वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कम से कम 5 लाख 'खेत तालाब' और 10 लाख कुंए बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा।[1] इस घोषणा के बाद राज्य इससे सम्बंधित अपने-अपने लक्ष्य और इस दिशा में योजनाएँ आगे ले कर आए।

अप्रैल 2017 से जून 2018 के मनरेगा के आंकड़ों पर यदि नजर डाली जाए तो पता लगता है कि इस दौरान 1.3 मिलियन जल संरक्षण की इकाइयाँ देश भर में बनायी गईं। देश में 5,97,464 गाँव हैं। इस हिसाब से हर गाँव में जल संरक्षण की औसतन दो संरचनाएँ बनायी जा चुकी हैं। इनमें से 70

1 http://pib-nic-in/newsite/mberel-aspÛ\relid¾136979A

** यह खबर राजस्थान में सिकोईडिकॉन और महाराष्ट्र में ग्रामीण समस्या मुक्ति ट्रस्ट द्वारा की गई पड़ताल से उद्धृत है।*

प्रतिशत इकाइयों का मकसद किसानों को सूखे के समय सिंचाई के लिए पानी पहुँचाने का है। सूखे की समस्या से निपटने के लिए ये एक प्रभावी तरीके के रूप में उभरा है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अभी तक करीब चार लाख खेत तालाब बनाए जा चुके हैं।[2]

'खेत-तालाब' विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे किसानों के लिए एक बेहतरीन योजना बन सकती है बशर्ते कि इसका क्रियान्वयन सही ढंग से किया जाए। खेत-तालाब न सिर्फ भूमिगत जल को बढ़ाने में भूमिका निभा सकते हैं बल्कि किसानों को खेती और जानवरों के लिए पानी मुहैया करा सकते हैं। जिन किसानों को मनरेगा के तहत जॉब कार्ड मिल चुके हैं वे अपने खेत में तालाब बनवा सकते हैं और निर्धारित राशि का दावा कर सकते हैं। खेत-तालाब बनाने का पूरा खर्चा किसानों को मनरेगा के तहत दिया जाएगा। सरकार की ओर से यह राशि 87,000 रुपये निर्धारित की गयी है। मनरेगा के अलावा अलग-अलग राज्य विभिन्न राज्य सरकार की योजनाओं के तहत खेत-तालाब बनाने के कामों को तेजी से बढ़ा रहे हैं, जिसमें आवंटित राशि और सब्सिडी के तरीके भिन्न हैं।

सिंचाई संबंधी विभिन्न योजनाओं के केंद्र में 'खेत-तालाब' के आने से इनकी संख्या में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है। 11 अप्रैल 2018 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बयान के अनुसार राज्य सरकार की 'मागेल त्याला शेततळे' योजना के अन्दर, जिसमें सभी आवेदन करने वालों को खेत-तालाब दे दिया गया है और अब तक 76,106 खेत-तालाब बनवाए जा चुके हैं।[3] हाल ही में प्रकाशित खबर के अनुसार तिरुअनन्तपुरम की 73 पंचायतों के खेती प्रधान इलाकों में ही करीब 3.72 लाख किलो लीटर क्षमता के 2032 खेत-तालाब बनाए जा चुके हैं। जल संकट की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान' चलाया जा रहा है, जिसके तहत राज्य सरकार के दावों के अनुसार चौथे चरण तक 16034 गाँवों में 3,86,752 जल संरक्षण कार्य किए जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश में बीते एक साल में 1.63 लाख खेत-तालाब बनाए गए हैं और खेत-तालाब की संख्या के हिसाब से प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है।[4]

बड़ी संख्या में देश भर में खोदे जा रहे खेत-तालाबों की उपयोगिता और इसकी प्रक्रिया को समझने-बूझने के लिए श्री सौम्य दत्ता की पहल और अगुवाई में तीन राज्यों में सर्वेक्षण किए गए। ये राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश हैं। यह काम राजस्थान में सिकोईडिकोन संस्था, महाराष्ट्र में ग्रामीण समस्या मुक्ति ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश में पानी संस्था के साथ किया गया। इन तीनों ही राज्यों में बी.सी.पी.एच. के तहत खेती-किसानी पर काम किया जा रहा है जिसका उद्देश्य खेती से किसानों को मिलने वाली आय बढ़ाना है। इनमें से दो राज्यों महाराष्ट्र और राजस्थान के दौरे में किसानों के साथ हुई बातचीत से खेत-तालाब योजना के क्रियान्वयन को लेकर प्राप्त जानकारी को आगे दी हुई दो केस स्टडीज के रूप में साझा किया जा रहा है।

केस स्टडी-1

यवतमाल, महाराष्ट्र

यवतमाल सूखे की बुरी मार झेल रहे विदर्भ इलाके में है। इस साल मई 27, 2018 को फर्स्ट पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक यवतमाल जिले में 6000 खेत तालाब अब तक बनाए जा चुके हैं। इस संरक्षित पानी से जनपद की करीब 6000 हेक्टेयर भूमि को खेती में विशेषकर रबी की फसल में लाभ होने की उम्मीद की जा रही है।

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के पांढरकवडा नगर निगम में आने वाले गाँव वगदरा में 40 खेत-तालाब बन चुके हैं, जिसमें से 34 इसी साल बने हैं। इन तालाबों का सही आकलन तो बारिश के मौसम के बाद ही पता लगेगा पर किसानों में इनको लेकर बहुत उत्साह नहीं है। कारण है गाँव में पिछले सालों में बने खेत-तालाब के उनके अनुभव और मिट्टी को लेकर उनकी समझ। किसान सुनील चन्द्र अतरम कहते हैं, 'इस गाँव में खेत तालाब प्रभावी नहीं हैं क्योंकि यहाँ मिट्टी की संरचना पानी को संरक्षित नहीं होने देती। यहाँ तक कि बारिश के मौसम में भी पानी तालाब में देर तक नहीं टिकता।' अपनी मिट्टी संबंधी समझ के आधार पर सुनील चन्द्र जी ने अफसरों से एग्री फिल्म की मांग की जिससे पानी तालाब में देर तक टिक सके पर वे बताते हैं कि उनकी मांग को कोई तवज्जो नहीं दी गई। सुनील चन्द्र अतरम जी की एक परेशानी यह भी है कि जिस मिट्टी को खोद के बाहर निकला गया उसे तालाब के किनारे ही छोड़ दिया गया। वे कहते हैं, 'पहली बारिश के साथ ही ये मिट्टी वापस तालाब में गिर जाएगी। मिट्टी को तालाब से वापस बाहर निकालने में फिर से कम से कम 10,000 रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा तालाब की

किसान सुनील चन्द्र अतरम अपने खेत में खोदे गए तालाब के विषय में बताते हुए

2 https://www-downtoearth-org-in/news/water/with&half&a&million&new&farm&ponds&should&farmers&be&worried&about&deficit&monsoon&&60985½

3 https://twitter-com/CMOMaharashtra/status/984053586538541057

4 http://www-thehansindia-com/posts/indeÛ/Andhra&Pradesh/2018&04&10/AP&leads&India&in&-farm&pond&digging/373194

हट मंजरी में बना खेत-तालाब

गहराई उसके तले से मिट्टी के ढेर के ऊपर तक मापी गई, जबकि सही गहराई मापी हुई की आधी ही है।'

इसी इलाके के दूसरे गाँव हट मंजरी में 194 परिवार रहते हैं। पानी की कमी की वजह से हट मंजरी के किसान पूरे साल में केवल एक ही फसल उगा पाते हैं। 15 किसानों के पास बोरवेल है और जमीन में 250 फीट पर पानी मिलता है। किसानों के अनुसार नीचे करीब 150 फीट पर काले पत्थर हैं इसलिए 150 फीट के बाद ही पानी मिल सकता है। इस गाँव में अब तक 12 खेत तालाब बने हैं। हट मंजरी के एक किसान रमेश के खेत में 50,000 की लागत से एक खेत-तालाब और 2.5 लाख की लागत से धड़क सिंचाई योजना के अंतर्गत एक डग वेल बना हुआ है। इन सबके बावजूद सिंचाई के लिए रमेश को पानी उपलब्ध नहीं है और वे केवल एक ही फसल उगा पा रहे हैं। किसान के अनुसार इसकी वजह मिट्टी की पानी को रोकने में असमर्थता है और इलाके में खेत-तालब पानी के संरक्षण के लिए सही नहीं है। किसान के अनुसार तालाब बनाने की प्रक्रिया में मिट्टी की जाँच नहीं हुई थी अन्यथा यह परेशानी पहले ही सामने आ जाती।

हट मंजरी गाँव के ही खेत-तालाब से फायदा उठाने वाले किसान गोवर्धन के पास सात एकड़ जमीन है जिसमें 15x15 मी का तालाब राज्य सरकार की 'मांगेल तलाई शेत्रे' योजना के अंतर्गत बना हुआ है. इनके अनुसार खेत-तालाब से इनकी कपास की फसल को फायदा हुआ है जिसकी पैदावार करीब 5-10 क्विंटल तक बढ़ गई है। खेत-तालाब की मदद से ये दो फसलें भी उगा पाए। किसान गोवर्धन के अनुसार उनके तालाब में पानी होने की वजह पास में ही बहता हुआ नाला है जिसमें थोड़ी दूर स्थित डैम का बचा हुआ पानी हमेशा ही रहता है। इस नाले से पानी के रिसाव से उनका खेत-तालाब पूरे वर्ष भरा रहता है। गाँव के सभी किसान ये बात कहते हैं कि खेत तालाब के बजाय यदि इस नाले का समुचित प्रबंधन हो जाए तो कम से कम 50 किसानों को फायदा होगा क्योंकि ये नाला कम से कम 50 खेतों/घरों के पास से गुजरता है।

केस स्टडी-2
टोंक, राजस्थान

गाँव बृजलालपुरा में कुल 30 खेत-तालाब हैं जिनमें से वर्ष 2015-16 में 14, 2016-17 में 5 व 2017-18 में 2 खेत-तालाब बने। शेष खेत-तालाब 2014-15 के पूर्व बने। इस इलाके में किसानों को खेत-तालाब योजना से फायदा और राहत मिली है। स्थानीय किसानों के अनुसार 100x100x10 फीट के तालाब से 3 हेक्टेयर जमीन सींची जा सकती है, जिससे रबी की फसल में काफी फायदा होता है। इस पानी से रबी में सरसों, चना आदि की फसल में एक बार की सिंचाई की जा सकती है। किसान राम प्रसाद ने बताया कि 2016 में खेत-तालाब के भरने से उनका उत्पादन दोगुना हो गया पर 2017 में बारिश के अभाव में 80 प्रतिशत तक नुकसान भी सहना पड़ा। यवतमाल में मिट्टी की पानी को रोकने कि अक्षमता के विपरीत यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाब दिसम्बर माह तक करीब 70-80 प्रतिशत भरा रहता है जबकि 20-30 प्रतिशत तक पानी वाष्पीकरण व रिसाव की वजह से कम हो जाता है।

इलाके के ही एक अन्य गाँव अजीतपुरा में प्राप्त जानकारी के अनुसार खेत-तालाब का आकार 100ग100ग10 फीट है, जिसमें करीब 1.20 लाख का खर्चा आता है। इसके लिए सरकार द्वारा 60,000 का अनुदान दिया जाता है। गाँव में 3 सरकारी खेत-तालाब स्वीकृत हुए हैं एवं 2 निजी खेत-तालाब हैं। किसान सीताराम बैरवा कहते हैं कि अच्छी बारिश होने पर तालाब से उनके उत्पादन में दोगुनी वृद्धि होती है। इससे वे खरीफ और रबी दोनों मौसमों में खेती कर पते हैं। वे बताते हैं कि मूंगफली की खेती बारिश के पानी से ही हो जाती है जबकि सरसों और गेहूँ तालाब की सिंचाई से हो जाते हैं।

दोनों ही गाँवों में मिली जानकारी के अनुसार यहाँ किसानों की मुख्य समस्या इस योजना के क्रियान्वयन से संबंधित है। किसानों के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत खेत-तालाब की खुदाई नरेगा श्रमिकों द्वारा नहीं हो पाती क्योंकि नीचे की जमीन पथरीली है। इसलिए यह काम किसान को निजी खर्चे पर जेसीबी मशीन से करवाना पड़ता है, जिसका खर्चा उन्हें नहीं मिलता। इसके अलावा खेत-तालाब की खुदाई में निकली मिट्टी का प्रबंधन एक बड़ी समस्या है। इसे स्थानीय लोग मोरिंडा कहते

किसान राम प्रसाद अपने खेत में खोदे गए तालाब के विषय में बताते हुए

हैं। यह मिट्टी कंकरीट वाली होने के कारण खेती के लिए अनुपयोगी है। इसलिए इस मिट्टी का ढ़ेर तालाब के किनारे जमा रहता है जो बारिश के दिनों में पुनः तालाब में चला जाता है। इस मिट्टी को खेत-तालाब से निकालने में करीब 15-20 हजार का खर्च आता है जो किसान को वहन करना पड़ता है। इस विषय में सरकार से कोई सहायता किसानों को नहीं मिल पा रही है। खेत-तालाब से फसल को सिंचित करने के लिए ट्रेक्टर का इंजिन चलता है जिसमें 1 घंटे में 3 लीटर डीजल लगता है। पिलाई के लिए 30 घंटे इंजिन चलता है तो करीब 8000 रुपये का खर्चा आता है। किसान के लिए यह खर्चा बड़ी चिंता का विषय है। इसके अलावा छोटे किसानों जिनके पास आधा हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि नहीं है उनके लिए इस योजना में प्रावधान नहीं है जिससे वे इसके फायदे से वंचित हैं।

अंत में

खेत-तालाब योजना सूखे से जूझते देश के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है, पर जमीनी क्रियान्वयन में किसानों के साथ भागीदारी कर गाँव के स्तर पर समस्या को पूरी तरह समझकर यदि योजना का क्रियान्वयन किया जाए तो परिणाम सार्थक होंगे। यवतमाल में बिना मिट्टी का परीक्षण किए बनने वाले तालाब गढ्ढा खोदने की योजना बन गए हैं जबकि टोंक में जहाँ इसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं वहां इससे सम्बंधित अतिरिक्त खर्च किसानों पर एक बोझ की तरह सामने आया है। योजना के सही क्रियान्वयन के लिए इसके विवेचनात्मक अध्ययन और सुधार की जरूरत साफ दिखाई दे रही है ताकि इसकी कमियों को ठीक कर इसे किसानों की मददगार योजना बनाया जा सके।

**

वनाधिकार कानून लागू करने की माँग

• *देवेन्द्र दत्त उनियाल*

ग्राम वनाधिकार समिति की बैठक को संबोधित करते परियोजना सलाहकार सौम्या दत्ता

पैरवी नई दिल्ली, सिकोईडिकोन जयपुर, समाज कार्य विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, बियॉण्ड कॉपेनहेगन, जीजीएफ परियोजना के सहयोग से उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी तथा डुण्डा ब्लॉक के मुखवा, धराली, बगोरी, हर्शिल, जसपुर, पुराली, सुक्की, झाला, अगोड़ा, ढासड़ा, दंदालका, नौगांव, भंकोली, गजोली, सेकू, अठाली, चामकोट, चिवां, दिलसौड़, चिणाखोली, जुगुल्डी गाँव में सम्पर्क, मीटिंग, शोध अध्ययन किया गया।

पाया गया कि इन गाँवों के लोगों की वनों पर परंपरागत निर्भरता है। ईंधन, चारा, चारागाहों के अलावा वनों से यहाँ के निवासियों की आजीविका जुड़ी हुई है, लेकिन भारतीय वन अधिनियम 1980 ने सामुदायिक वनों को राज्य के स्वामित्व में लाया है। यहाँ समुदायों को वनों का इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित किया जा रहा है। यहाँ तक कि जलावन की लकड़ी, गैर इमारती लकड़ी, वन उत्पादों के इस्तेमाल करने पर भारी दंड और जुर्माना लगाया जा रहा है जिससे वनाधिकारी समूचे वन क्षेत्र और इसके संसाधनों के सामंती शासक बन गये हैं।

वनाधिकार कानून को वन विभाग स्वीकार नहीं कर रहा है। जिन-जिन गाँवों में वनाधिकार समितियों का गठन हुआ है वहाँ पर वन विभाग उन्हें प्रतिद्वन्दी के रूप में देख रहा है। उतराखण्ड में 66 प्रतिशत वन भूमि है। यहाँ पर सही तरीके से कानून को लागू नहीं किया जा रहा है। लोगों के अधिकारों को एक प्रकार से समाप्त कर दिया गया है। राज्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के कानून को संशोधित करने के बजाय वन नियमावली 2005 को और सख्त कर दिया गया है जिससे समुदायों का रुझान जंगलों से खत्म हो रहा है क्योंकि उनके हक-हकूक कम कर दिए गए हैं।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के कानून को बने हुए 12 साल हो गये हैं। हमारे देश के लाखों लोगों को, जिनके पास वन भूमि पर 75 वर्ष से निवास, हक-हकूक का प्रमाण है उन्हें, वन भूमि पर इस कानून के तहत अधिकार मिल रहे हैं, परन्तु हमारे जिले में इसके लिए

जिम्मेदार अधिकारियों के भीतर अभी-भी इस कानून को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कई लोगों को लगता है कि यह कानून जनजातियों के लिए है, सामान्य जाति के लोगों के लिए यह कानून नहीं है। वन विभाग की भी मान्यता है कि विभाग के अधिकार क्षेत्र में जो भूमि है उस पर विभाग का अधिकार है, समुदाय का नहीं। वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन में समुदायों के साथ काम करते हुए हमें इस कानून की प्रक्रिया की कमियाँ समझ में आईं।

जैसे कि-

- इसमें सरकारी दखल ज्यादा है। ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय तथा राज्य स्तर पर जो कमेटियाँ बनी हैं उनमें समुदाय के लोगों को शामिल नहीं किया गया है
- परंपरागत हक-हकूकों की मान्यता के लिए 75 वर्ष के जो प्रमाण माँगे गए हैं वह अधिकतर लोगों के पास नहीं हैं। अपने परंपरागत हक-हकूकों को समुदाय किस प्रकार प्राप्त कर सकता है उसके लिए जिम्मेदार विभाग को जो कार्य करना चाहिए था, वह भी क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है
- विभाग की ओर से वनाधिकार कानून का जो प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए था, वह भी नहीं हो रहा है।

> वनाधिकार कानून को वन विभाग स्वीकार नहीं कर रहा है। जिन-जिन गाँवों में वनाधिकार समितियों का गठन हुआ है वहाँ पर वन विभाग उन्हें प्रतिद्वन्दी के रूप में देख रहा है। वन विभाग की मान्यता है कि विभाग के अधिकार क्षेत्र में जो भूमि है उस पर विभाग का अधिकार है, समुदाय का नहीं।

परियोजना के अंतर्गत पहल

- क्षेत्र में ग्राम सभा, महिला मंगल दल, युवा संगठनों के साथ बैठक करके वनाधिकार कानून 2006 के बारे में बताया गया
- परियोजना क्षेत्र में कानून से संबंधित पोस्टर, पर्चे एवं कानून के दस्तावेज का वितरण किया गया
- वन विभाग, समाज कल्याण विभाग के साथ कानून को लागू करने के लिए उनसे सम्पर्क, पत्र-व्यवहार का काम जारी है और उन्होंने हमारे काम का समर्थन किया है
- 20 गाँवो के लोगों को कानून की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन जनपद मुख्यालय उतरकाशी में किया गया जिसमें क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, महिला मंगल, युवा संगठनों तथा ग्राम वनाधिकार समिति के सदस्यों ने भाग लिया
- परियोजना की मद्द से 17 गाँवों (मुखवा, धराली, बगोरी, हर्शिल, जसपुर, पुराली, सुक्की, झाला, अगोड़ा, ढासड़ा, नौगांव, भंकोली, गजोली, सेकू, अठाली, चामकोट, चिवा गांव) में ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति का गठन किया गया है। जिनकी सूचना उपखण्ड स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति को उपलब्ध करवाई गई। उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा इन समितियों का सत्यापन भी करवाया गया। इस कानून के संबंध में समाज कल्याण अधिकारी से भी विचार-विमर्श किया है, उन्होंने हमारे काम में सहयोग की पेशकश की है
- परियोजना के सहयोग से बगोरी, हर्शिल, चिंवा, सेकू, चामकोट, अठाली के लोगों ने वन भूमि पर दावा-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति में जमा किया है
- क्षेत्र के अस्सी गंगा घाटी के अगोड़ा, ढासड़ा, दंदालका, भंकोली, नौगांव, गजोली, सेकु, चामकोट, अठाली, दिलसौड़ की ग्राम वनाधिकार समितियों ने ग्राम सभा के सहयोग से वन भूमि पर गौशाला, छानी, मकान, खेती पर मालिकाना हक के लिए 550 व्यक्तिगत दावों के फार्म भी भरे हैं
- लघु वन उपज जैसे जड़ी-बूटी, घास, लकड़ी के संग्रहण आदि के लिए सामुदायिक दावा फार्म भर रहे हैं
- मुखवा, बगोरी, धराली, हर्शिल, झाला, जसपुर, पुराली, सुक्की के समुदायों द्वारा सामुदायिक वन भूमि पर मालिकाना हक के लिए दावा फार्म भरने की बात की जा रही है
- दावों के सत्यापन के लिए राजस्व विभाग से गाँव हालात रिपोर्ट, गाँव से पुरानी वन भूमि की रसीद, वन विभाग से 1938–1995–96 की कार्ययोजना, भूतपूर्व टिहरी गढ़वाल राज्य के वन टिहरी गढ़वाल फॉरेस्ट एक्ट टिहरी राज्य की विज्ञप्ति संख्या २३ छै-पी.एस. दिनांक 4 अक्टूबर 1940 के द्वारा टिहरी और उतरकाशी जिलों में प्रदत वन सुविधाएँ तथा इनके निमित्त नियमावली आदि कई दस्तावेजों को एकत्रित किया गया है। इन दस्तावेजों में गाँव के वनों पर परम्परागत हक-हकूकों के बारे लिखा गया है जो दावेदारों के दावों को सत्यापित करने के लिए मजबूत दस्तावेज माने जा रहे हैं।

हमारा कार्य लोगों तक कानून की सही जानकारी देना है और शासन-प्रशासन पर समुदाय के हक-हकूकों को मान्यता देने के लिए दबाव बनाना है ताकि जनपद में इस कानून का सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके। जंगलों पर अपने परंपरागत हकों से दूर होने पर समुदाय भी जंगल से कट जाता है। आज जंगल में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड तथा वन विभाग के कर्मचारियों को बुलाया जाता है, पहले गाँव के लोग खुद आग बुझाते थे। यह चिन्तन का विषय है कि जो लोग पहले जंगल की आग बुझाने जाते थे वे आज क्यों नहीं जाते हैं?

हम सुरक्षित जंगल चाहते हैं और माँग करते हैं कि वनाधिकार को लागू करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी विभाग इसे एक अभियान के रूप मे चलाएँ।

**

राजस्थान में खेती: सरकार की पहल और जन-मानस की प्रतिक्रिया

• *आलोक व्यास*

चित्र स्रोतः www.thehindu.com

प्रदेश में कुल जोतों का 62 प्रतिशत सीमांत व लघु श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में छोटी जोत के किसानों की आजीविका सदैव चिंता का विषय रही है।

पिछले पाँच वर्षों में खेती- किसानी की स्थिति पर समग्र दृष्टि डालें तो पाते हैं कि राजस्थान सहित भारत के विभिन्न प्रांतों में किसानों में असन्तोष बढ़ा है। इस कालखण्ड में हुए विभिन्न किसान आंदोलन इस बात के गवाह हैं। बढ़ती लागत, घटती आय, ऋण माफी, लागत का उचित मूल्य न मिलना, डीजल-पेट्रोल के बढ़ते दाम, फसल बीमा योजना की क्रियान्विति में खामियाँ, बिजली कटौती, आवारा पशुओं से खेती को नुकसान, बढ़ती प्राकृतिक आपदाएँ व उनके समुचित प्रबंधन का अभाव, ये ऐसे मुद्दे रहे जो किसानों के आक्रोश का प्रमुख कारण रहे। राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के साथ उपरोक्त चिंताएँ कृषि के संकट को और गहरा देती हैं। राजस्थान देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल (342.2 लाख हेक्टेयर) वाला राज्य होकर भी वहाँ कृषि योग्य भूमि (183.49 लाख हेक्टेयर) का मात्र 35 प्रतिशत (66.61 लाख हेक्टेयर) ही सिंचित है। प्रदेश में कुल जोतों का 62 प्रतिशत सीमांत व लघु श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में छोटी जोत के किसानों की आजीविका सदैव चिंता का विषय रही है। प्रदेश की 65 प्रतिशत जनसंख्या की आजीविका कृषि व उससे संबद्ध कार्यों पर निर्भर है किंतु कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 24.61 प्रतिशत (स्थिर 2011-12 की कीमतों पर) है।

सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन का स्थिर (2011-12) कीमतों पर कृषि का योगदान (प्रतिशत में)

2013—14	2014—15	2015—16	2016—17	2017—18
28.93	27.81	26.16	25.29	24.61

सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन का प्रचलित कीमतों पर कृषि का योगदान (प्रतिशत में)

2013—14	2014—15	2015—16	2016—17	2017—18
28.24	26.23	26.38	25.50	24.76

स्रोत- राजस्थान की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2017-18

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि पिछले पाँच वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान निरंतर घटता जा रहा है। यदि हम वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक बजट में कृषि क्षेत्र के आवंटन को देखें तो उसमें भी हमें विशेष बढ़त दिखाई नहीं पड़ती।

राज्य के कुल बजट के अनुपात में कृषि व संबद्ध क्षेत्र को आवंटित बजट

वर्ष	आवंटित बजट राशि	प्रतिशत
2014-15 (वास्तविक)	4537.8	3.89
2015-16 (संशोधित)	5129.85	3.83
2015-16 (वास्तविक)	4437.14	3.42
2016-17 (संशोधित)	6041.20	4.07
2016-17 (वास्तविक)	5602.05	4.01
2017-18 (संशोधित)	6170.02	3.51

इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ष 2016-17 को छोड़कर अन्य वित्तीय वर्षों में कृषि व संबद्ध क्षेत्र का बजट पूर्व के वर्ष की तुलना में कम रहा है।

सरकार की पहल

- वर्ष 2022 तक किसानों की आय में दोगुनी वृद्धि करने की केंद्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी पहल को राज्य स्तर पर प्रोत्साहित व प्रसारित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM) का आयोजन जयपुर, कोटा व उदयपुर में किया गया जिसके तहत कुल करीब 6 हजार करोड़ के निवेश हेतु विभिन्न कम्पनियों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार का मानना है कि GRAM के माध्यम से 70 हजार से अधिक रोजगार सृजित होंगे व कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार से उत्पादन में वृद्धि होगी। किंतु वस्तुतः इन समझौतों का प्रगति विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है
- मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत कोटा, उदयपुर व भीलवाड़ा कृषि खण्डों के 11 जिलों में गेहूँ, ज्वार, सोयाबीन, उड़द व मूँग का बीज उत्पादन किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत 4443 क्विंटल निःशुल्क बीज किसानों को वितरित किए जा चुके हैं
- लघु व सीमांत कृषकों को आधुनिक कृषि यंत्र किराये पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर योजना का प्रारम्भ किया गया है, जिसके तहत 2017-18 में 750 सेंटर स्थापित करने का उद्देश्य था। किंतु इस लक्ष्य का प्रगति विवरण उपलब्ध नहीं है
- सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य योजना के तहत 2014-16 के मध्य 55 नई मृदा प्रयोगशालाएँ विकसित की गईं एवं 77 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषकों को वितरित किए जा चुके हैं
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2016-17 में 22 लाख 38 हजार किसान व खरीफ 2017 में 55 लाख 17 हजार किसानों को फसल बीमा से जोड़ा जा चुका है
- प्रदेश में खजूर, ड्रेगन फ्रूट, जैतून, ग्वार पाठा जैसी व्यावसायिक फसलों को प्रोत्साहन दिया गया है
- गौ-संवर्द्धन के लिए पृथक से गौ-पालन विभाग की स्थापना की गई है।

जन-मानस की प्रतिक्रिया

यदि वर्तमान सरकार के कार्यकाल की जड़स्तर पर समीक्षा की जाए तो जिस प्रकार जन-मानस की प्रतिक्रिया महसूस की जा रही है वह इस प्रकार है -

- वर्ष 2015 में जेनेटिकली इंजिनियरिंग अप्रेज़ल कमेटी द्वारा जेनेटिकली मोडिफाइड (जैव परिवर्धित) सरसों के व्यावसायिक उपयोग व प्रयोग को अनुमति देने के उपरांत पूरे देश में किसानों ने इसका विरोध किया। इस विरोध का आधार यह था कि जी.एम. फसलों से स्वास्थ्य व पर्यावरण को कोई हानि नहीं है, इस पर विश्वभर में कोई सहमति नहीं बनी थी। इसके अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा बीज-बाजार पर एकाधिकार की आशंका भी विरोध का एक बड़ा कारण था। राजस्थान सरकार द्वारा जी.एम. सरसों को राज्य में अनुमति न देने के निर्णय का सभी किसान संगठनों ने स्वागत किया। किंतु राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार को ध्यान रखना होगा कि केंद्र के चुनावी घोषणा-पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक जी.एम. फसलों के पर्यावरण व स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर स्पष्टता नहीं हो जाती तब तक इनके प्रयोग व उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी
- राजस्थान जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से वंचित राज्यों की श्रेणी में आता है। वर्ष 2016 में पश्चिमी राजस्थान में बाढ़ के हालात व उससे खेती-किसानी में हुए नुकसान ने यह स्पष्ट कर दिया कि आपदा से निपटने के लिए सरकारी तंत्र व व्यवस्थाएँ चाक-चौबंद नहीं हैं। प्रदेश के जिलों में आपदा प्रबंधन कमेटियाँ बनी तो हैं मगर संसाधनों के अभाव में तत्काल आपदा से राहत पहुँचाने की स्थिति में नहीं हैं। वर्ष 2015 के मार्च-अप्रैल माह में बेमौसम ओलावृष्टि से खेती में हुए भारी नुकसान के कारण 56 किसानों ने अपनी जान गंवा दी व लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि बर्बाद हो गई
- बाजरा राजस्थान की प्रमुख फसल व प्रदेश की पहचान है। किंतु तकनीक, शोध व संसाधनों के अभाव में बाजरे का बीज तैयार नहीं हो पा रहा है। प्रदेश में कुल बोये गए बाजरे का क्षेत्रफल 52 प्रतिशत है। बीज स्वावलंबन व बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के सरकार के वादे पर यह एक बड़ा सवाल है
- वर्ष 2018 में लहसुन उत्पादक किसानों को उचित मूल्य न मिल पाने के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। 60-70 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिकने वाले लहसुन को

दाम गिरने के कारण 3-4 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचने पर किसानों को मजबूर होना पड़ा। इस संकट की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा किसानों को कोई राहत न पहुँचा पाना निराशाजनक है

- सरकार द्वारा जैविक खेती को प्राथमिकता देते हुए राज्य के 11 जिलों में जैविक खेती के क्लस्टर विकसित करने की महत्त्वपूर्ण घोषणा तो की गई मगर साथ ही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिछले चार वर्षों में रासायनिक फर्टिलाइजर का उपयोग 48 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 52 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। इसके अतिरिक्त जैविक उत्पाद के लिए जैविक बाजार तक किसान की पहुँच सुगमतापूर्वक सुनिश्चित नहीं हो पाई
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा करवाने वाले किसानों की संख्या के दृष्टिकोण से राजस्थान सर्वोच्च 10 राज्यों में से एक है। किंतु यदि किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में मुआवजे की राशि के भुगतान की स्थिति देखें तो पता चलता है कि अन्ततः इस योजना का सर्वाधिक लाभ बीमा कम्पनियों के हिस्से में जा रहा है। भारत में वर्ष 2016-17 में बीमा कम्पनियों द्वारा 22344.73 करोड़ की प्रीमियम राशि एकत्रित की गई जिसके एवज में मात्र 9446.83 करोड़ का मुआवजा वितरित किया गया। राजस्थान में वर्ष 2016-17 के लिए 2406 करोड़ की राशि प्रीमियम के रूप में बीमा कम्पनियों ने प्राप्त की और 1066 करोड़ रुपये का क्लेम वितरित किया गया
- राज्य सरकार द्वारा गौ-संवर्द्धन व संरक्षण के लिए पृथक से गौ-पालन विभाग की स्थापना स्वागत योग्य निर्णय था किंतु सरकारी गौ-शालाओं में संसाधनों व चारे-पानी के अभाव में गायों की अकाल मृत्यु से आमजन में रोष व्याप्त हुआ। राज्य सरकार के गौ-पालन विभाग द्वारा ऐसी स्थिति में जवाबदेही से बचना निराशाजनक था। चारे-पानी के अभाव में खुली छोड़ी हुई गायों व अन्य पशुओं से खेतों में हो रहे नुकसान को भी गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है।

कृषि सम्बंधी घोषणाएँ व उनकी प्रगति

क्र.	सुराज संकल्प के वादे	वर्तमान स्थिति
1	सिंचित क्षेत्र में आबयाना व लगान को माफ करने की व्यावहारिकता पर नियम	समय-समय पर कर माफी की घोषणाएँ की गई हैं परंतु कोई नियम/वृहद योजना जारी नहीं की गई। हालांकि राज्य में 'राज्य कृषक ऋण राहत आयोग' का गठन किया है जो ऋण माफी के दायरों को सुनिश्चित करेगा।
2	कृषक सुरक्षा अधिनियम बनाया जाएगा	सरकार द्वारा कोई घोषणा नहीं की गई है।
3	किसानों को खाद, बीज एवं दवाइयाँ सरकारी दर पर उपलब्ध कराए जाऐंगे	सरकार द्वारा अति गरीब किसानों को सीड मिनीकिट वितरित किए गए हैं।
4	उपज को लाभकारी बनाने हेतु सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेगी तथा राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा होगी	मंडी में अव्यवस्थाओं से किसान परेशान हैं। सरकार एक व्यापक नीति बनाने में विफल रही है।
5	किसानों को पैतृक भूमि का बंटवारा सामान्य आवेदन पर प्राप्त होगा	इस सम्बंध में 'न्याय आपके द्वार' अभियान प्रदेश भर में चलाया गया
6	न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिधि बढ़ाकर, वनोपजों आदि को शामिल किया जाएगा	रबी व खरीफ की सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिधि में नहीं लिया गया। सरकार वनोपजों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान नहीं कर रही है।
7	न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद के लिए स्थायी तंत्र विकसित किया जाएगा	राज्य में किसी प्रकार के स्थायी तंत्र का विकास नहीं हुआ है अपितु केन्द्र में नीति आयोग द्वारा एक तंत्र गठित करने पर विचार हो रहा है।
8	कृषि बीमा का आकलन ग्राम पंचायत द्वारा करवाया जाएगा	आकलन ग्राम पंचायत द्वारा करवाया जा रहा है परंतु अनियमितताओं के कारण किसान को सही लाभ नहीं प्राप्त हुआ। प्रीमियम के तौर पर 2406 करोड़ बीमा कम्पनी को मिले परंतु खराब फसल का क्लेम केवल 1066 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ। किसान खस्ता हालत में हैं।
9	जंगली जानवरों से फसल के बचाव के लिए तारबंदी हेतु अनुदान	सरकार ने चुनाव वर्ष 2018 में राजस्थान तारबंदी योजना का शुभारम्भ किया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 40,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता का प्रस्ताव है।

10	किसान की भूमि में खनिज सम्पदा मिलने एवं भूमि अवाप्त होने पर व्यावहारिक नीति बनायी जाएगी या संशोधित भूमि अधिग्रहण के तहत मुआवजा दिया जाएगा	खनिज सम्पदा मिलने पर किसी प्रकार की नीति घोषित नहीं की गई है। भूमि अधिग्रहण बिल 2014 के तहत भूमि मालिक को बाजार मूल्य के 9 गुना तक मुआवजा राशि प्राप्त हो सकती है। भूमि अधिग्रहण के लिए 80 प्रतिशत लोगों का समर्थन होना आवश्यक है।
11	खेतों में कार्य करते समय, पशु चराते हुए दुर्घटना एवं मृत्यु पर आर्थिक सहायता दी जाएगी	राजस्थान कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को 3 से 6 लाख रु. तक का मुआवजा प्राप्त हो सकता है।
12	जलवायु को देखते हुए कम पानी की फसल जैसे खेजड़ी को प्रोत्साहन दिया जाएगा	चिपको आंदोलन की द्योतक खेजड़ी वृक्ष राजस्थान में संकट में है। सरकार द्वारा इस ओर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।
13	सब्जियों और फलों के उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुँचाने के लिए ग्रीन हाऊस की स्थापना	अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान बनाने के लिए ग्राम (GRAM- Global Rajasthan Agritech Meet) का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम के तहत 'स्मार्ट फार्म' (Smart Farm) बनाए जा रहे हैं। यह बड़े एवं नये प्रयोग करने वाले किसानों के लिए है। मुख्यमंत्री ने 2017-18 के बजट भाषण में 5 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता के गोदाम की बात कही थी। इसका कोई फॉलो-अप प्राप्त नहीं हुआ है।
14	काश्तकारों की आवश्यकतानुसार जिलेवार कोल्ड स्टोरेज और एग्रो प्रोसेसर की स्थापना की जाएगी	सरकार द्वारा जिलेवार कोल्ड स्टोरेज मुहैया नहीं कराए गए हैं। कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु भी निजी निवेश को बढ़ावा दिया गया।
15	कृषि उत्पादों के मूल्यवर्द्धन और निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा	Rajasthan Agro Processing and Agri Marketing Promotion Policy 2015 को Resergent Rajasthan के अन्तर्गत विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और निर्यात को बढ़ाने के लिए गठित किया है।
16	जैविक खेती निदेशालय की स्थापना की जाएगी	राजस्थान जैविक खेती योजना 2017 (Rajasthan Organic Farming Policy 2017) लागू की गई है परंतु जैविक खेती निदेशालय की स्थापना नहीं की गई है।
17	कृषि विकास एवं राहत कोष की स्थापना की जाएगी	कृषि विकास एवं राहत कोष की स्थापना नहीं की गई है।
18	मंडी से जुड़ी सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा	गाँव एवं मंडी से जुड़ी सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया गया है।
19	कृषि उत्पादों और जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए सुविध ा उपलब्ध कराई जाएगी। विशेषकर TSP क्षेत्र की पैदावार के लिए।	Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA) की स्थापना सन् 2015 में की गई। Tribal Sub Plan (TSP) के लिए सरकार काफी प्रोत्साहित कर रही है परंतु आज तक इनके लाभार्थी कम ही हैं।
20	Israel से औद्योगिकी और तकनीक के आदान-प्रदान के सम्बंध में खजूर तथा ऑलिव की खेती को बढ़ावा देंगे	राजस्थान जल्द ही पहला ऑलिव तेल का ब्रैन्ड बाजार में लाने वाला है।
21	'पुष्प कृषि विभाग' की स्थापना की जाएगी	इस विभाग की स्थापना नहीं हुई है।
22	Agriculture & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) के सहयोग से ईसबगोल और ग्वार के लिए Agri Export Zones (AEZ) की स्थापना की जाएगी	राजस्थान में धनिया और जीरा जैसी फसलों के लिए AEZ स्थापित हैं। सन् 2017 की बजट घोषणा के बाद ग्वार, ईसबगोल और लहसुन के लिए AEZ की स्थापना कृषि विभाग के पास विचारणीय है।
23	Warehouse Regulatory and Development Authority का गठन किया जाएगा	गठन नहीं किया गया है।
24	मृदा स्वास्थ्य जांच, बीज परीक्षण तथा कृषि के प्रचार-प्रसार हेतु अभियान चलाया जाएगा	किसानों को समय-समय पर अलग-अलग माध्यमों से जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।
25	अनुसूचित जनजाति आयोजना क्षेत्र के लघु तथा सीमांत काश्तकारों के लिए ऋण माफी योजना बनायी जाएगी	सरकार ने सभी वर्गों के लघु किसानों के ऋण माफी की योजनाएँ बनायी हैं एवं ऋण माफ कर किसानों को फायदा पहुँचाया है।

26	ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु कम हॉर्स पावर के पम्प पर रियायत दी जाएगी। सौर ऊर्जा पर बढ़ावा दिया जाएगा	केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत किसानों को ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, पम्प व सोलर पैनल और अन्य उपकरणों पर अनुदान दिया जा रहा है।
27	रोजड़ा एवं अन्य जानवरों से हो रहे नुकसान की भरपाई होगी	राहत प्रदान नहीं की जा रही है तथा आवारा पशुओं से हो रहे नुकसान को बीमा प्रदान नहीं किया जा रहा है।
28	कृषि क्षेत्र को लाभदायक बनाया जाएगा अपितु सम्मानजनक पेशा बनाया जाएगा। कृषि में ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराया जाएगा	पूर्व वर्षों में हो रहे कृषि आंदोलनों से यह पता चलता है कि कृषक नाखुश हैं और आज भी सही दाम और सम्मान के लिए लड़ रहा है। गाँव से हो रहे पलायन में वृद्धि यह दर्शाती है कि कृषक की संतान किसानी एवं उससे जुड़े कार्य छोड़कर रोजगार के नये साधन ढूँढ रही है।
29	जैविक उत्पाद हेतु मंडी में अलग से जगह प्रस्तावित की जाएगी	जानकारी अनुपलब्ध।

**

दिल्ली में गिरता भू-जल स्तर

• *सलमान खान (इन्टर्न)*

आज दिल्ली के सभी इलाके पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं जिसके भविष्य में और गंभीर होने की आशंका है। बारिश के ठीक पहले आए आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली में 900 एमजीडी (मिलियन गैलन डेली) पानी उपलब्ध था जबकि प्रतिदिन 1100 एमजीडी पानी की मांग है। केंद्रीय भू-जल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के करीब 90 फीसदी इलाकों में हर वर्ष 0.5 से लेकर 2 मीटर तक भू-जल स्तर गिर रहा है। हाल ही में जारी नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दो सालों में पानी की समस्या इस कदर बढ़ जाएगी कि दिल्ली समेत देश के 20 और शहर डे जीरो की कगार पर होंगे। 'डे जीरो' का मतलब है- वह दिन जब सरकार पानी की किल्लत की वजह से पानी का वितरण बंद कर देती है। दक्षिण अफ्रीका का केपटाउन शहर इस वर्ष डे जीरो का सामना करने की वजह से सुर्खियों में रहा था।

केंद्रीय भू-जल बोर्ड की रिपोर्ट दर्शाती है कि 10 साल पहले जहां जमीन के 30 मीटर नीचे पानी मिल जाता था वहीं अब 40-80 मीटर तक जमीन खोदनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरते भू-जल के स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पानी को लेकर दिल्ली में युद्ध जैसे हालात हैं।

इस समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयास नाकाफी हैं। दिल्ली में 'डेल्ही वाटर एंड सीवर (टेरिफ एंड मीटरिंग) रेगुलेशन 2012' लागू है जिसके अनुसार हर नयी इमारत, जिसका क्षेत्रफल 100 स्क्वायर मीटर से ज्यादा होगा, में रेनवाटर हार्वेस्टिंग यूनिट अनिवार्य है। 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल वाली नयी इमारतों में यदि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की जाती है तो उन्हें पानी के बिल में 10 फीसदी की छूट दी जाएगी। इस नियम का पालन नहीं करने पर इमारत के मालिक पर जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके अलावा दो साल पहले दिल्ली जल बोर्ड ने एक एनजीओ के साथ मिलकर दिल्ली में तीन जगहों- द्वारका, आर.के. पुरम और लाजपत नगर में सेंटर खोले जिसका उद्देश्य लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए सलाह और मदद करना था। लेकिन 18 मई 2018 को दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू के अनुसार महीने में मुश्किल से एक या दो लोग ही सेंटर पर आते हैं और कभी-कभी एक भी नहीं। एनजीओ ने भी दिल्ली जल बोर्ड से खुद को अलग कर लिया है।

क्या है गिरते भू-जल स्तर की वजह?

दिल्ली में पानी की समस्या के कई कारण हैं। वर्षा का पानी तालाबों, कुंओं आदि के जरिये धरती के भीतर जाता है, ये भूमिगत जल के स्तर को बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन दिल्ली के अधिकांश तालाब अवैध कब्जों के कारण नष्ट हो चुके हैं। कुंओं का भी अस्तित्व खत्म हो चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार दिल्ली की 1000 पानी की इकाइयों में से 500 से भी ज्यादा या तो सूख चुकीं हैं, उन पर अनाधिकृत कब्जा हो गया है या फिर उनका किसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए अधिग्रहण कर लिया गया है। यमुना नदी जो कि दिल्ली शहर के लिए पीने के पानी का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हुआ करती थी, एक नाले में बदल चुकी है। दिल्ली में पीने योग्य पानी उपलब्ध करने वाले दिल्ली जल बोर्ड का जर्जर बुनियादी ढांचा और उपकरण भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। जल बोर्ड के 2016 के आकलन के अनुसार जितने पानी का वितरण दिल्ली में किया जाता है उसका करीब 40 प्रतिशत पानी वितरण के दौरान बर्बाद हो जाता है जो कि गंभीर समस्या है। इसके अलावा दिल्ली में गैर-कानूनी बोरेवेलों की संख्या 5000 से भी ज्यादा है जिन पर लगाम न लगा पाना भी इस समस्या के बढ़ते जाने का एक बड़ा कारण है।

स्पष्ट है कि दिल्ली में जल संकट के अनेक कारण हैं। जरूरत इस समस्या को समग्र रूप में देखने और इसके सभी पहलुओं पर काम करने की है। कुछेक पहलुओं पर ही केन्द्रित हो जाने से योजना को प्रचार तो मिलेगा पर संकट गहराता ही जाएगा।

कम खर्च में अधिक उत्पादन बना आजीविका का साधन

• *विनोद शर्मा*

एक बीघा जमीन में 14 क्विंटल अनाज व 16 क्विंटल चारे का उत्पादन हुआ है। भविष्य में मैं जैविक खेती को पूरी तीन बीघा जमीन में करूँगी और रासायनिक खाद का बहिष्कार करूँगी।

- फुमा देवी

फुमा देवी पत्नी बाबूलाल बैरवा, उम्र 50 वर्ष, ग्राम देवपुरा बैरवा, राजस्थान के एक गरीब परिवार से हैं। इनकी आर्थिक हालात ठीक नहीं है। वे लघु सीमान्त किसान है जिनके पास तीन बीघा जमीन है। फुमा देवी पिछले तीन साल से रासायनिक खाद से कृषि उत्पादन ले रही थीं। वर्षा कम होने के कारण पानी उपलब्ध नहीं हो रहा था और धीरे-धीरे फसल होना कम हो गई थी। मानसून आधारित फसल वर्षा हो तो हो जाती है अन्यथा नहीं। रासायनिक खाद की वजह से भूमि का उत्पादकता स्तर भी गिरता जा रहा है। फुमा देवी को जैविक खाद का उपयोग करने एवं उन्नत बीज से खेती करने की जानकारी प्रदान की गई पर उन्हें जैविक खाद के लाभ पर विश्वास ही नहीं हुआ।

सिकोइडिकोन निवाई द्वारा जैविक खेती पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन रखा गया जिसमें शामिल होने के लिए फुमा देवी से संर्पक किया गया। फुमा देवी ने प्रशिक्षण में आने को लेकर आना-कानी की और कहा कि 'आजकल तो रासायनिक खाद के बिना फसल होती ही नही है,जैविक खाद क्या करेगी? हमारा पहले वाला तरीका ही सही है।' सिकोइडिकोन कार्यकर्त्ता ने परामर्श दिया कि इस प्रशिक्षण में कृषि वैज्ञानिक केन्द्र से कृषि विशेषज्ञ भी आऐंगे और उनके द्वारा हमें जैविक खेती की विधियाँ व लाभ पर जानकारी दी जाएगी।

25 अक्टूबर 2017 को कृषि विशेषज्ञ बंशीधर चौधरी ने बताया कि जैविक खेती द्वारा किसान जमीन की उर्वरा शक्ति, जलधारण क्षमता, वायु संचरण में वृद्धि के साथ-साथ मित्र जीवाणुओं की सक्रियता में वृद्धि कर कम खर्चे में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। जैविक खेती से कठोर हुई भूमि में खुलापन बढ़ता है व अधिक उत्पादन के साथ-साथ उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़ती है जिससे किसान को बाजार में सामान्य मूल्य से अधिक मिलता है जो कि किसान की आर्थिक स्थिति सुधारने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

फुमा देवी को यह जानकारियाँ अच्छी लगीं और उन्होंने अपनी एक बीघा जमीन में जैविक खेती करने का विचार बनाया। उन्होंने अपने पड़ोसी बद्री लाल बैरवा से कुएँ का पानी लेकर गेहूँ की खेती करने का निर्णय लिया। संस्था द्व ारा बीसीपीएच प्रोजेक्ट के तहत एक बीघा के बीज व केंचुओं की खाद पर संस्थान की तरफ से 70 प्रतिशत छुट दी गई। समय पर फुमा देवी द्वारा खेत की जुताई की गई और खेत में ढाई सौ किलो केचुओं की खाद व एक ट्रॉली गोबर खाद अंतिम जुताई के समय डाली गई और गेहूँ बोया। समय-समय पर निराई-गुड़ाई व क्रान्तिक अवस्था पर सिंचाई की गई। समय-समय पर संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा भी गेहूँ की खेती का अवलोकन कर सुझाव दिए गए। धीरे-धीरे फसल में बालियाँ निकलने लगीं। बालियाँ लम्बी, दानों की संख्या, चमक व वजन सामान्य गेहूँ की खेती से अच्छा रहा। फुमा देवी ने बताया, 'इस एक बीघा जमीन में 14 क्विंटल अनाज व 16 क्विंटल चारे का उत्पादन हुआ है। यदि इसमें एक पानी और मिलता तो और अधिक उत्पादन मुझे मिलता। भविष्य में मैं ध ीरे-धीरे जैविक खेती को पूरी तीन बीघा जमीन में करूँगी और रासायनिक खाद का बहिष्कार करूँगी।' ग्राम देवपुरा में अन्य किसान भी जैविक खेती करने की ओर प्रेरित हुए और उन्होंने कहा कि हम भी आगे जैविक खेती करेंगे।

**

National Consultation on Sustainability and Climate; Exploring Gender and Development Praxes

17tn Feb, Jaipur

PAIRVI, CECOEDECON and BCPH collective organized the National Consultation as prep meeting for the CSW and took this opportunity also to reflect on the status of the SDGs and Paris Agreement. Ms. Usha Punia, former Minister, Rajasthan, Ms. Neelam Gorhe, Chief Whip and MLC, Maharashtra Legislative Council, Mr. Fons van der Valden, Context, Netherlands, Mr. Shyam Chandra, University of Iowa, Ms. Aparna Sahay, Chairperson PAIRVI, Mr. Sunil Jacob, UNFPA Rajasthan participated in the Consultation. The Consultation underlined that lot of efforts need to be put in to build pressure on the government to take effective and meaningful policies and programmes. In the context of the CSW, the speakers highlighted that though status of women has improved generally, there are some areas where progress is required (women's role in the legislatures, taking the benefits of the IT to women, recognizing patriarchy and oppression as a state policy.

Asia Pacific Peoples Summit, Bangkok

25th to 27th March

Peoples Summit was organized immediately before 5th Asia Pacific Forum on Sustainable Development at Chulalongkorn University, Bangkok. More than 200 organizations from Asia and the Pacific participated. The theme of the Poeples Forum was "Defending the Environment; Redefining Resilience." Ajay K Jha from PAIRVI participated in the Poeples Forum on the invitation of the ESCAP. He led the drafting team for the final outcome statement from the Peoples Forum and spoke on the impact of Free Trade Agreements and RCEP on people and vulnerable communities on panel organized by IBON International.

MOEFCC Consultation on Talanoa Dialogues

9th March, Delhi

The Ministry of Environment, Forest and climate change organized a meeting with the CSOs on Talanoa Dialogue participation. The meeting was chaired by Sh. R S Prasad JS, CC division and Sh. Manish Chauhan, JS, Ministry of External Affairs. JS, CC Division, MOEFCC requested the participants to make submissions to participate in the Talanoa Doalogues in May in 46th Meeting of the Subsidiary Bodies of the UNFCCC.

National Consultation on Who wants to fix our climate and eat our food

Role and Responsibility of big technology in sustainable and inclusive development,

25th April, Delhi

The Consultation was organized in collaboration with a number of organizations including Focus on the Global South, La Via Campesina and ETC Group. More than 70 participants discussed role of technology in climate and food and sounded a caution on reposing extreme faith in big technology, which has very little connection with peoples concerns, planet or environment and are mainly promoted by big corporations for profit. The speakers included Dr Vandana Shiva (Navdanya), Dr. Sachin Chaturvedi (RIS), Sh Chandrashekhar Sahu (Former Minister, CG), Elenita Dano (ETC group), Jacob Nellithanam (Richharia Campaign), Aparna Sahay (PAIRVI), Imrana Qadir & Dr. Ritu priya (JNU), Vijay Pratap (SADED), Yudhveer Singh & Narpinder Singh (BKU and LVC), Bhagwan Sahay (KSS), Afsar Jafri (Focus), Pankaj Thesia (Gujarat), Saurabh Singh (Inner Voice Foundation), Shalini Bhutani etc. The Consultation came up with the recommendation to form a Technology Assessment Platform at South Asia to review utility and impact of technology and enhance role of people in determination, development and deployment of technology.

Farm Pond Implementation and Effectiveness Study in four states

The GoI had launched the "Farm Pond" program in 2016. From 2016 several states have been implementing this farm pond program. The initiative is an effective adaptation measure and its success/ failure will have a major impact on farmer's confidence in adaptation measures. In May 2018 Beyond Copenhagen in collaboration with its partners undertook an evaluation of implementation, design and operation of farm ponds scheme, in 4 states where it is being implemented. The evaluation revealed that a lot of improvement is required in making this scheme effective and helpful.

Food Funchayat

31st December, Shilki dungri, Jaipur

Food Funchayat, a food festival was organized at CECOEDECON's Shilki Dungri office where farmers and partners from states of Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh, Uttar Pradesh and Rajasthan displayed their traditional seeds, food crops, medicinal plants etc. A number of varieties of wheat, rice, bajra, makka, kodo, kutki, jhangora, mandua, fruits, vegetables, pulses and their seeds were on display which farmers have preserved through decades. After the exhibition, participants also relished a rich menu of traditional food laid down by Kisan Sangh and Mahila Kisan Sangha of Rajasthan.

High Level Political Forum (HLPF), New York

9th-18th July, New York

HLPF was held from 9th to 18th July at UN HQ at New York to take stock of the implementation of the SDGs under the auspices of the Economic and Social Council of the UN. This year 47 countries presented their Voluntary National Report (VNR). Approx 2000 representatives of the governments, CSOs and other stakeholders participated in the HLPF. Asia Pacific Regional CSOs Engagement Mechanism (APRCEM) was given the status of the Major Group (and a seat) by the UN. A delegation of the MAUSAM including Sh Sharad Joshi, Prof. Sanjay Paswan and Sh Soumya Dutta participated in the HLPF engaging with a variety of activities. The delegation also met the Permanent Representative of India at UN Mr. Syed Akbaruddin. MAUSAM organized a side event on SDG 7, on 18th July at Church centre, where in Mr. Soumya Dutta, Mr. Uchita De Zoysa (sustainable development Platform, Sri Lanka), Ms. Joan Carling (Tebtebba Foundation), Ms. Shaila Shahid (ICCAD, Bangladesh), Ms. Anne Cecile Coly (ITUC, Uganda) and Ms. Chuthatip Maneepong (Open Development Initiative, Thailand) spoke on trends, challenges and way forward in just and equitable energy transition. Besides, attending other side events, the delegation members also held interactions with small group of activists working against colonialism and climate crisis organized by Marta Benavides from Al Salvador. MAUSAM members also held meetings with ESCAP Dy Secretary Kaveh Zaidi, Bihar Jharkhand Association of North America (BJANA) and representatives of various other major groups.

South India Consultation on Climate, food and sustainable development; of false solutions and for meaningful actions

30th and 31st July, Bengaluru

The Consultation was organized in collaboration with the Environment Support Group (ESG) Bengaluru and ETC group. The consultation discussed global, national and sub national priorities and challenges in climate, food and agriculture and sustainability initiatives. The participants arrived at a conclusion that climate change and sustainable development are being used as tools to promote corporate interests and false slutions; which is making the situation worse for the people on the frontline of impacts. They also explored how meaningful actions can be organized to resist false solutions and promote sustainability, equity and justice. More than 40 participants including CSOs, youth, CBOs, gender groups and academics participated in the Consultation.

Meeting with the University of Florida delegation

3rd July, Delhi

A half day meeting was organized with the delegation and students of the Non profit management of University of Florida. Prof. Sanjai Bhatt, Mr.Suneel Vatsyayan and Ajay Jha interacted with the students giving them an orientation on non profit management in India, society and culture, and other national and global issues of relevance.

**

चिन्तनीय मुद्दा

अंधाधुंध विकास का दुष्परिणाम - बाढ़

• *चेतना जोशी*

पिछले महीने केरल में आई बाढ़ से जान-माल का नुकसान और भारी तबाही दिल दहला देने वाली घटना थी। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार १ अगस्त से २२ अगस्त तक पिछले 87 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2394 मिलीमीटर बारिश हुई। यह केरल में पूरे बरसात के मौसम में होने वाली सामान्य बारिश (1701.4 मिलीमीटर) से भी कहीं ज्यादा थी। सबसे ज्यादा बारिश इडुक्की (3555.5 मिली मीटर) और पलक्कड़ (2285.6 मिलीमीटर) में रिकॉर्ड की गई जो कि इडुक्की और पलक्कड़ में होने वाली सामान्य बारिश (1851.7 मि.मी. और 1321.7 मि.मी). से बहुत अधिक है। इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टयम और मलप्पुरम बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं।

बाढ़ में 370 से भी ज्यादा लोग मारे गए, एक लाख से भी ज्यादा घर तबाह हो गए और 7 लाख लोगों बेघर हो गए। बाढ़ में करीब 906,400 हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गईं और 10 हजार किलो मीटर से भी ज्यादा सडकें बह गईं। एसोचेम के आकलन के अनुसार बाढ़ की वजह से 15 से 20 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। राज्य में आय के सभी मुख्य स्रोत जैसे कि पर्यटन, कृषि और निर्यात नाजुक स्थिति में पहुंच गए हैं।

तेज और लगातार बारिश की वजह से राज्य में मौजूद सभी जलाशयों में खतरे की सीमा से अधिक पानी भर चुका था। स्थिति की गंभीरता का पूर्वानुमान नहीं होने से और उसको संभालने में असमर्थता की वजह से राज्य के 39 में से 35 बांधों के शटर यकायक खोल दिए गए। इस पानी ने भयंकर और अचानक आई बाढ़ का रूप ले लिया और नीचे के इलाकों को बर्बाद कर दिया।

मानवकृत विनाश को साफ-साफ दर्शाने के सिलसिले में 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़, 2015 में कश्मीर में आई बाढ़ के बाद इस साल की केरल की बाढ़ का नंबर आ गया है। जहां हम पिछले सालों में हुए विनाश के बाद ठीक से खड़े भी नहीं हो पाए हैं, वहीं बाढ़ों की संख्या और तीव्रता में लगातार होती बढ़ोत्तरी अब इससे भी बड़ी किसी घटना की चेतावनी मात्र नहीं बल्कि अंधाधुंध तथाकथित विकास के दुष्परिणामों की गवाही है।

हालांकि बाढ़ राहत कार्य में मछुआरों की भूमिका देखते हुए केरल ने मछुआरों की आधिकारिक नियुक्ति का फैसला लिया है जो स्वागत योग्य है, लेकिन बाढ़ जैसी आपदा के नियंत्रण के लिए केंद्र व राज्य सरकारों की तैयारियां बहुत गंभीर नहीं दिखतीं जो कि चिन्ता का विषय है।

खबरें

प्लास्टिक अपशिष्ट ने दुनिया को कचरे में बदला

जनरल साइंस एडवांस में छपे एक नये अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में जहाँ 1950 में प्लास्टिक का कुल उत्पादन २० लाख टन का था वहीं 2015 में ये बढ़कर 4000 लाख टन का हो गया। अध्ययन के अनुसार 1950 से अब तक इंसानों ने करीब 8300 करोड़ प्लास्टिक का उत्पादन किया है जिसमे से ज्यादातर कचरे के रूप में मौजूद है। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के शोध के अनुसार 2015 से अब तक उत्पादित 8300 करोड़ टन प्लास्टिक में से 6300 करोड़ टन कूड़े-करकट के ढेर में बदल चुका है। इस कुल अपव्यय का केवल नौ प्रतिशत ही पुनर्चक्रण हुआ है, 12 प्रतिशत को जलाया जा चुका है और 79 प्रतिशत या तो भराव क्षेत्रों में पड़ा है या प्राकृतिक सम्पदा के बीच पड़ा हुआ है। अगर इसी तरह चलता रहा तो 2050 तक करीब 1200 करोड़ टन प्लास्टिक अपशिष्ट कचरे के ढेर और प्राकृतिक संसाधनों के बीच उनको दूषित करते हुए मौजूद होंगे। चूँकि प्लास्टिक अपशिष्ट प्राकृतिक जैविक प्रकिया से अपघटित नहीं होते इसलिए वे अगले सैकड़ों-हजारों सालों तक यूँ ही पड़े रहेंगे। यह स्थिति बेहद ही गंभीर और चिंतनीय है। इन शोधकर्ताओं के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट का एक बड़ा भाग समुद्र में चला जाता है। उनके अनुमान के मुताबिक केवल वर्ष 2010 में ही करीब 80 लाख टन प्लास्टिक समुद्र में चला गया।

https://indianexpress.com/article/lifestyle/humans-turning-earth-into-plastic-planet-study-4761315/

उत्तर प्रदेश में 15 जुलाई से प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जुलाई 2018 से सूबे को प्लास्टिक मुक्त करने के काम में आम जनता का सहयोग मांगा है। योगी ने रामनगर स्थित लोधेश्वर महादेव में आयोजित वन महोत्सव में कहा कि उन्होंने 15 जुलाई 2018 से प्रदेश में प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। वह जनता से प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था के लिए सहयोग का आह्वान करते हैं।

https://khabar.ndtv.com/news/india/united-nations-appreciates-india-efforts-to-combat-air-pollution-1814671

संयुक्त राष्ट्र ने वायु प्रदूषण से निपटने की भारत की कोशिशों को सराहा

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र ने दिल्ली सहित अन्य महानगरों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने से लिये भारत के प्रयासों को अत्यधिक उत्साहजनक बताते हुए इसे विश्व के लिये अनुकरणीय बताया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के कार्यकारी निदेशक इरिक सोलहिम ने आज यहां भारत को इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का वैश्विक मेजबान घोषित करने से जुड़े सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि भारत ने विकास कार्यों और पर्यावरण संरक्षण के बीच बेहतर संतुलन कायम किया है। उन्होंने भारत को पर्यावरण दिवस की वैश्विक मेजबानी सौंपे जाने का स्वागत करते हुए कहा कि भारत का यह प्रयास विश्व के लिये उदाहरण साबित हुआ है।

https://khabar.ndtv.com/news/india/united-nations-appreciates-india-efforts-to-combat-air-pollution-

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने पांच गंगा बेसिन राज्यों में 'गंगा वृक्षारोपण अभियान' का आयोजन किया

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की ओर से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे गंगा घाटी वाले पाँच प्रमुख राज्यों में 'गंगा वृक्षारोपण अभियान' का आयोजन किया गया। यह आयोजन 9 जुलाई 2018 से 15 जुलाई 2018 तक 'शुभारंभ सप्ताह' के रूप में मनाया गया था। इन राज्यों के वन विभागों को इस अभियान को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया था। अभियान के संचालन के लिए जिला स्तर पर मंडलीय वन अधिकारियों को तथा राज्य स्तर पर मुख्य वन संरक्षकों को नोडल अधिकारी बनाया गया था।

गंगा बेसिन में वृक्षारोपण का महत्व:

जहाँ वन होते हैं, वहाँ काफी वर्षा होती है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ता है। बड़ी मात्रा में पेड़ों से झड़ने वाली पत्तियाँ और छालें वर्षा जल को तेजी से बहने नहीं देतीं और वह धीरे-धीरे जमीन के अंदर रिसता जाता है, जिससे जल चक्र की प्रक्रिया आसानी से चलती रहती है। इसके अतिरिक्त नदियों के किनारे स्थित घने वन नदियों को स्वतः साफ होने की क्षमता प्रदान करते हैं। ऐसे में गंगा के किनारे वन लगाए जाने से गंगा संरक्षण के कार्यक्रम को बल मिल रहा है।

विश्व बैंक ने 6,000 करोड़ की 'अटल भूजल योजना' को स्वीकृति दी

विश्व बैंक ने 6000 करोड़ की लागत से जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना को स्वीकृति दी है। योजना को विश्व बैंक की सहायता से 2018–19 से 2022–23 की पाँच वर्षीय कालावधि में कार्यान्वित किया जाना है। मंत्रालय की वित्त व्यय समिति पहले ही योजना के प्रस्ताव की अनुशंसा कर चुकी है और परियोजना के लिए मंत्रालय जल्द ही मंत्रिमण्डल की मंजूरी लेगा।

योजना का लाभ:

योजना के क्रियान्वयन से इन प्रदेशों के 78 जिलों में लगभग 8350 ग्राम पंचायतों के लाभान्वित होने की आशा है। योजना के अंतर्गत धनराशि अनुदान के रूप में भागीदारी करने वाले प्रदेशों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 177वें स्थान पर

पर्यावरण दिवस पर 05 जून 2018 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) की रेटिंग जारी की गई। इसमें भारत को 177वां स्थान प्राप्त हुआ जबकि सूचकांक में शामिल कुल देशों की संख्या 180 है। वर्ष 2016 में भारत इस सूची में 141वें स्थान पर था। भारत सरकार द्वारा विभिन्न पर्यावरण हितैषी कार्यक्रम आरंभ किए जाने के बावजूद यह रैंकिंग चिंताजनक है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह रैंकिंग प्रतिवर्ष जारी की जाती है।

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) के प्रमुख तथ्य:

- इस रिपोर्ट में 10 श्रेणियों के अलग-अलग 24 मुद्दों पर शोध कार्य किया गया है जिसमें वायु की गुणवत्ता, जल एवं स्वच्छता, कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन तीव्रता (जीडीपी के प्रति इकाई उत्सर्जन), जंगलों (वनों की कटाई) और अपशिष्ट जल उपचार शामिल हैं।

- इस रिपोर्ट को डब्ल्यूईएफ के सहयोग से येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है।
- रिपोर्ट में जनसंख्या वृद्धि से विकास पर प्रभाव पड़ने की भी बात कही गई है तथा इस रिपोर्ट में चीन को 120वां स्थान दिया गया है।
- ईपीआई में पाकिस्तान को भारत से बेहतर 169वां स्थान दिया गया है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका को 27वें स्थान पर रखा गया है।
- इस सूची में स्विटजरलैंड शीर्ष स्थान पर है जबकि फ्रांस दूसरे स्थान पर और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है।

विश्वव्यापी चिंता बना दिल्ली का प्रदूषण

हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थ इंस्टीट्यूट के प्रमुख जेफ्री सैक्स ने कहा है कि अपने दमघोंटू प्रदूषण के कारण दिल्ली रहने लायक शहर नहीं रहा है। उन्होंने प्रदूषित हवा और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया और कहा कि प्रदूषण पर सख्त कदम न उठाने के लिए गरीबी को बहाना बनाना गलत है। दिल्ली को लेकर कई और संगठन भी इस तरह की बात कह चुके हैं। पिछले साल सरकार ने घोषणा की थी कि 2030 से देश में बनने वाली सभी कारें पूरी तरह बैटरी से चलेंगी। नागपुर में हाल ही में शुरू हुए एक चार्जिंग सेंटर को इस दिशा में मील का पत्थर माना गया। लेकिन फिर इस लक्ष्य को 2032 कर दिया गया और सरकार के सुर इतनी तेजी से बदलने शुरू हुए कि अभी पयार्वरण मंत्री नितिन गडकरी और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने साफ कह दिया है कि गाड़ियों को बैटरी पर लाने वाली किसी नीति की फिलहाल कोई जरूरत ही नहीं है।

https://navbharattimes.indiatimes.com/opinion/editorial/environmental-issues-in-india/articleshow/62957449.cms

अंटार्कटिक से हिमखंड लाकर अपने लोगों की प्यास बुझाएगा ये देश

यूएई के नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड की ओर से एक ऐसे प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है जिसके जरिये अंटार्कटिक में मौजूद आइसबर्ग को यूएई के समुद्री किनारों पर लाया जाएगा। साल 2020 की पहली तिमाही तक इन आईसबर्ग को लाया जाएगा जिसके जरिये पीने के पानी की समस्या को दूर करने की कोशिशें होंगी।

प्रोजेक्ट पर आने वाली लागत करीब 50 से 60 मिलियन डॉलर होगी। यूएई का यह प्रोजेक्ट साल 2019 की दूसरी छःमाही में शुरू होगा। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पर्थ या फिर साउथ अफ्रीका के केपटाउन से होगी।

https://hindi.oneindia.com/news/international/uae-tow-antarctic-drinking-water-463265.html

प्रति,

_____

_____

_____

बुक पोस्ट

संपादनः अजय झा संकलनः चेतना जोशी संपादन सहयोग एवं पृष्ठ संयोजनः रजनीश

सीमित प्रसार के लिए पैरवी, ई-46, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, लाजपत नगर-3, नई दिल्ली-110024 द्वारा प्रकाशित

संपर्कः 011–29841266, 46101652 ईमेलः info@pairvi.org, pairvidelhi1@gmail.com